

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

देश पत्रक ता०.....से.....तक
ला.....सं०.....सन् 20.....
केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
22-7-2020	न्यायालय, अपर समाहर्ता, पलामू। विविधवाद/अपीलवाद/रिवीजन सं० xv.39/2017-18 श्रीगणेश शर्मा बनाम प्रमोद कुमार सिंह माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, रांची के याचिका संख्या WP(C) 5617/2019, WP(C) 1973/2015 एवं WP(C) 3380/2014 में पारित आदेशों एवं सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, रांची के पत्रांक-332/रा०, दिनांक-24.01.2020 द्वारा निर्गत निदेश एवं सरकारी अधिवक्ता के मतव्य के आलोक में अंचल अधिकारी अथवा उप समाहर्ता भूमि सुधार के जमाबंदी/Cancellation या Mutation के आदेशों का, अपर समाहर्ता के न्यायालय में वाद/अपील/रिवीजन अथवा विविधवाद के निष्पारण का क्षेत्राधिकार, Jurisdiction इस न्यायालय को The Bihar Tenent's Holdings (Maintainance of Reocrds) Act, 1973 के प्रावधानों को अनदेखी कर वाद दायर किये गये हैं, इसलिए तथ्यों के विश्लेषण और adjudication के बगैर वाद इस न्यायालय में Not Maintainable है। अतः यह वाद पत्र खारीज किया जाता है और पक्षकार को यह Liberty Grant करते हैं कि वह उचित फोरम को Act के अधीन Search out कर अपना मामला वहीं प्रस्तुत कर सकते हैं। लेखापित प्रभु संशोधित। <i>(Signature)</i> अपर समाहर्ता, पलामू।	29-7-2020 984/सं० 29-7-2020 सं० 1- अति सुपा (39) सं० 39/2017-18 पुनर्निर्देश 11/01/2020 नं० 07/2016 <i>(Signature)</i> अपर समाहर्ता, पलामू।

आदेश - पत्रक

(2)

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई करवाई
8.11.12	अपीलाधी की ओर से राम लखन राम उपस्थित। प्रतिवादी की ओर से एक सदस्य उपस्थित एवं प्रतिउत्तर दारित। Put up for argument on 22/11/12. IC <u>2</u> 8/11/12	
22.11.12	अपीलाधी की ओर से अधिवक्ता हाजरी बैठक के लिए समय की मांग। प्रतिवादी की ओर से वकालत हाजरी। Last date for argument 8/12/12. IC <u>2</u> 22/11/12	
8.12.12	अपीलाधी की ओर से एक सदस्य उपस्थित। प्रतिवादी की ओर से एक सदस्य की हाजरी।	

उमय पक्ष के विरुद्ध
अधिवक्ता को हुना तथा अभिलेख
में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन
किया।

प्रशासन बाद अंचल अधिकारी
हुसैनाबाद द्वारा नामांतरण बाद
संख्या - 1239/2015-16 में पारित
आदेश दिनांक - 11/2/2016 के विरुद्ध
अपील आवेदक द्वारा दायित्व किया
गया है। आवेदक के अउसार प्रशासन
भूमि खाना - 53, प्लॉट - 474, रकबा
0.04 ए. गज लंबे में गैरमजदूरी
मालिक रईस, मिला लगान
निर्धारण होकर ^{विशेष} आवेदक के
पूर्वजों के नाम जमाबंदी कायम
हुई थी। इस जमाबंदी के
आधार पर बिजेना (आवेदक)
के पक्ष में जमाबंदी कायम करने
हुए नामांतरण किया जाये।
अंचल अधिकारी द्वारा हाल
तब का हवाला देने हुये।
आवेदक के नामांतरण बाद
को अस्वीकृत कर दिया गया
फलतः यह बाद लाया गया।

आदेश - पत्रक (2)

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई करवाई
	द्वितीय पक्ष के विज्ञान उपस्थित रहना द्वारा बनाया जाया कि पुनरागमन में मि हाल सर्वे (वर्तमान में उनके नाम से रहे हैं तथा सर्वे का अंतिम प्रकाशन हो गया है। सर्वे दस्तावेज (वर्तमान) दस्तावेज को बदल कर (नए) नया Mutation का आधार भी दस्तावेज कहा जाता है। इस संबंध में उनके द्वारा पटना उच्च न्यायालय द्वारा CWC - 40/1981 में पारित आदेश को उद्धृत किया जा रिक्त है : "Order with regard to mutation has to be passed on basis of possession only - authorities concerned cannot decide a dispute and complicated question of title in mutation"	

(Signature)

proceedings." लाघ ही उनके द्वारा यह भी बनाया गया कि दलियान के अंतिम प्रकार के पूर्व कि ली प्रकार की आपत्ति भी दर्ज नहीं की गई। अतः आवेदक का अपील आवेदन पोषणीय नहीं है।

उसके बाद को करने तथा काराजानों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रशासन यदि वह आवेदक दाल नहीं होने के कारण अंचल अधिकारी द्वारा नामांतरण अर्जी दल किया गया है, यदि बालन में आवेदक का दाल प्रशासन यदि वह होना नो दलियान के इस तरह का अवलोक होना लाघ ही इस बाल का अवलोक काना उचित होगा, को नामांतरण का उद्देश्य दाल के अंतर राजत्व बहली है। उन परिस्थिति में मेरे विचार है अंचल अधिकारी के आदेश विपरीत कोई आदेश दारित करने की आवश्यकता नहीं है।

11

11

आदेश - पत्रक (2)

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई करवाई
	इस आदेश को सभी पक्षों को अवगत किये हुये, (12/3) न्यायालय को अभिलेखित होना सुनिश्चित के साथ आदेश अधिकारी को भेजा। 11/12/19	नम नम 16/12/19 नम नम नम नम